UPSI010035542026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2 सीतापुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–260 / 2026

C.I.S. No. 1535/2026

1–वंश कपूर उम्र 24 वर्ष पुत्र पंकज कपूर।
2–देव कपूर उम्र 27 वर्ष पुत्र पंकज कपूर।
निवासीगण मो0 बेहटी टोला कस्बा व थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

.....प्रार्थीगण / अभियुक्तगण।

बनाम

स्टेट ....अभियोजक।

अ0सं0–108 / 2024
धारा–452,504,506
भा0दं0सं0।
थाना–लहरपुर।
जिला सीतापुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

अ0सं0–108 / 2024, अन्तर्गत धारा–452,504,506 भा0दं0सं0 थाना लहरपुर, जिला सीतापुर से सम्बन्धित अभियुक्तगण वंश कपूर तथा देव कपूर की ओर से प्रस्तुत किए गए अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

संक्षेप में कथन इस प्रकार हैं कि–वादी मुकदमा गार्गी प्रसाद ने प्रार्थनापत्र प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली लहरपुर जिला सीतापुर को इस आशय का दिया कि प्रार्थी की पुत्री श्रीमती शुभी मिश्रा ने दिनांक 25–5–2023 को थाना हाजा में मु0अ0सं0–329 / 23 अं0धारा 376,506 भा0दं0सं0 देव कपूर पुत्र पंकज कपूर निवासी मोहल्ला बेहटी कस्बा थाना लहरपुर जिला सीतापुर के विरूद्ध पंजीकृत कराया था जिसमें विपक्षी किसी प्रकार गिरफ्तारी के पूर्व जमानत हासिल कर ली है। विपक्षी उपरोक्त मुकदमा के कारण प्रार्थी से रंजिश मानता है। दिनांक 1 मार्च 2024 को प्रार्थी अपने आवश्यक कार्य से खैराबाद गया था, समय करीब 3 बजे अपरान्ह विपक्षी देव कपूर, वंश कपूर पुत्र पंकज कपूर व श्रीमती पूनम कपूर पत्नी पंकज कपूर निवासी मोहल्ला बेहटी कस्बा व थाना लहरपुर जिला सीतापुर प्रार्थी के दरवाजे पर आये और जाबेजा गालियां एवं धमकी देते हुए कहने लगे कि उपरोक्त मुकदमा में चलकर राजीनामा लगा दो नहीं तो पूरे परिवार को गोलियों से भूनकर खत्म कर दूंगा और यहां रहने नहीं दूंगा, घर के अन्दर घुसकर विपक्षीगण ने मेरा गृहस्थी का सामान घर के बाहर फेंकने का प्रयास किया, प्रार्थी की पत्नी के विरोध करने व शोर मचाने पर ज्ञानेन्द्र पाण्डेय निवासी केसरीगंज व मोहल्ला के मन्नालाल दीक्षित व अन्य तमाम लोगों ने आकर बीच बचाव किया तो विपक्षीगण यह कहते हुए कि आज तो घर पर मौजूद नहीं होने के कारण बच गये हैं, लेकिन अगर मुकदमा में राजीनामा नहीं लगाया तो आइन्दा नहीं बच सकेंगे। प्रार्थी अपना काम निपटा कर देर रात घर वापस आया तो प्रार्थी की पत्नी व पुत्र

ने घटना के बाबत प्रार्थी को बताया, इसलिए प्रार्थी श्रीमान जी को सूचना दे रहा है। अतः प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विपक्षीगण के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाय। उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत के सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचक द्वारा उपरोक्त मुकदमे के तथ्यों और परिस्थितियों का सही ढंग से अवलोकन न करते हुए झूंठे तथ्यों के आधार पर अन्तर्गत धारा 452,504,506 भा0दं0सं0 में आरोपपत्र प्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया है। आवेदकगण ने उपरोक्त कथित अपराध नहीं किया है, आवेदकगण निर्दोष हैं। आवेदकगण का कोई विशेष रोल प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। आवेदकगण के निर्दोष होते हुए भी आवेदकगण को कभी भी थाना लहरपुर की पुलिस द्वारा अचानक गिरफ्तार किया जा सकता है, तथा पुलिस आवेदकगण के साथ पश्चात गिरफ्तारी अमानवीय व्यवहार कर सकती है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित होने के बावजूद पोषणीय है। पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमे में आवेदकगण की छबि धूमिल करने अपमानित करने और परेशान करने की नीयत से झूंठा फंसाया गया है, ताकि आवेदकगण गिरफ्तार हो और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो। आवेदकगण से स्थानीय पुलिस रंजिश मानती है, तथा विपक्षी के राजनैतिक दबाव में आकर आवेदकगण को गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। इसलिए आवेदकगण ने यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवेदकगण पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत दिये जाने की याचना की गयी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा द्वारा आवेदक देव कपूर के विरूद्ध पंजीकृत कराये गये किसी अन्य मामले में राजीनामा लगाने को लेकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर सामान फेंकने का प्रयास करने का कथन किया गया है। आवेदकगण पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रस्तुत मामले में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह–अभियुक्ता श्रीमती पूनम कपूर की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18–05–2026 को स्वीकार की जा चुकी है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का संतोषजनक आधार पाया जाता है। अतः आवेदकगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण **वंश कपूर** तथा **देव कपूर** द्वारा मु0अ0सं0 108/2024, अन्तर्गत धारा–452,504,506 भा0दं0सं0 थाना लहरपुर, जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण प्रत्येक द्वारा 50,000/–रू0 का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांकः02–06–2026

(महेन्द्र सिंह–IV)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0–2, सीतापुर।
JO CODE UP 6113

कृष्ण/

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2026.06.02 15:11:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court sitapur